हिमाचल प्रदेश सरकार सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम,1994

1. **संक्षिप्त नाम,प्रारम्भ और लागू होना**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम,1994 है।

(2) यह नियम समस्त हिमाचल प्रदेश में लागू होंगे।

(3) यह नियम,राजपत्र,हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएंः**——इन नियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) भ**आबंटन** से इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निवास स्थान के अधिभोग की अनुमति प्रदान करना अभिप्रेत है य

(ख) भ**आबंटन वर्ष** से एक जनवरी से प्रारम्भ होने वाला वर्ष या सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य अवधि अभिप्रेत है य

(ग) **भवरियता तिथि** वर्ग–4 और उससे उपर आवास के पात्र अधिकारी/पदधारी सम्बन्धी पूविकता की तारीख ऐसी तारीख होगी, जब से वह राज्य सरकार या अन्यत्र सेवा/प्रतिनियुक्ति पर पद में विशेष वर्ग या उच्चतर वर्ग से सम्बद्व परिलब्धियॉ निरन्तर ग्रहण का रहा है :

परन्तु निम्न वर्ग के आवास का आबंटन आबेदक को उसकी प्रार्थना पर,यदि आवश्यक हो तो इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि वर्ग–4 और उससे उपर के आवास के हकदार राजपत्रित अधिकारियों को,अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आंबटित किये जाने वाले आवास आबंटित नहीं किये जाएगे :

परन्तु वर्ग–1,वर्ग–2 और वर्ग–3 के आवास के लिए वरीयता तिथि,जब से अधिकारी/ पदधारी राज्य सरकार की सेवा में निरन्तर कार्यरत हे,जिसके अन्तर्गत अन्यत्र सेवा /प्रतिनियुक्ति भी है, उस वर्ग के लिए वरीयता तिथि होगी :

परन्तु यह और कि ऐसी स्थिति मे जब दो या उससे अधिक अधिकारियों/पदधारियों को वरीयता की तारीख एक ही हो तो ज्येष्ठता इस आधार पर अवधारित की जाएगी कि तारीख उच्चतर परिलब्धयॉ प्राप्त करने वाले पदधारियों को उनसे कम परिलब्धियॉ प्राप्त करने वाले पदधारियों की अपेक्षा अधिमान दिया जाएगा और परिलब्धयॉ समान होने पर ज्येष्ठता सेवा अवधि के आधार पर की जायेगी, और ऐसी स्थिति मे जहॉ आवेदकों को सेवा की अवधि भी एक समान है, उनके बीच ज्येष्ठता उनकी जन्म तारीख के आधार पर अवधारित की जाएगी और आयु में ज्येष्ठ आवेदक आवास के आंबटन के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ होगा।

(घ) **भनिदेशक** हिमाचल प्रदेश के सम्पदा निदेशक तथा सम्पदा निदेशालय में नियुक्त

सम्पदा अधिकारी जिन्हें उनके द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा,अभिप्रेत है य

(ड.) **भसम्पदा अधिकारी** से जिला मुख्यालयों में नियुक्त सम्पदा अधिकारी अभिप्रेत है य
(च) **भपात्र कार्यालय** से हिमाचल प्रदेश सरकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जिसका कर्मचारीवृन्द हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन आवास आबंटन के लिए पात्र घोषित किया जा चुका है य
(छ) **भपरिलब्धियॉ** मूल नियमों के नियम 9(21) (ए) (1) वर्णित केवल मूल वेतन अभिप्रेत है य
(ज)भपरिवार से पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो और बच्चे,सौतेले बच्चे,वैध रूप से दत्तक ग्रहण किये बच्चे, भाई या बहन जो प्रायः अधिकारी/पदधारी के साथ रहते है और उस पर आश्रित है, अभिप्रेत है य
(झ)भआवास आबंटन समिति से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर समिति, अभिप्रेत है इन नियमों के अन्तर्गत सौपे गये कृत्यों को कार्यान्वयन के लिए गठित समिति अभिप्रेत है य
(ञ)भसरकार से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो य
(ट)भअनुज्ञप्ति शुल्क से कि सरकार द्वारा आवंटित किये जाने वाले आवासों के लिए समय–समय पर निर्धारित मासिक देय राशि अभिप्रेत है य
(ठ)भआवास से आबंटन के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा उद्दृष्ट किये गये आवासों के सामान्य पूल में तत्समय सम्मिलित किये मकान अभिप्रेत है य

(ड)भपर किरायेदारी से अभिप्रेत आबंटी द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ किराया लेने या न लेने पर सांझा करना हैः
परन्तु वह व्यक्ति यदि सरकारी आवास के आबंटन का हकदार है तथा उसे निदेशक द्वारा इस आशय की अनुमति दी गई है,जो इस शर्त पर दी जाएगी कि वह मिलने वाले सरकारी आवास भत्ते को नहीं लेगा और इस सांझीकरण के आधार पर उस आवास पर कोई अधिकार नहीं होगा।
(ढ)भअस्थाई स्थानान्त्रण से ऐसा स्थानान्त्रण अभिप्रेत है, जो चार मास की अवधि से अधिक न हो य और
(ण)भवर्ग अधिकारी के सम्बन्ध में वर्ग से अभिप्रेत है, आवास की वह श्रेणी जिसका वह नियम 5 के अन्तर्गत पात्र है।
3. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास अपने मकान है उनको आवास का आंबटनः––(1) जिन अधिकारियों /कर्मचारियों के अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम से मकान हों, वह सरकारी आवास के आबंटन के लिए पात्र होंगे।

(2) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को सरकारी आवास आबंटित हो जाने के बाद वह अथवा उसके परिवार का अन्य सदस्य उसको डियूटी के स्थान पर या उसके समीप निजी मकान का मालिक बन जाता है,जो वह अधिकारी/कर्मचारी मकान को किराये पर देने अथवा उसमें निवास करने की तारीख से या मकान पूरा होने की तारीख से, इनमें से जो भी पहले ही एक मास के भीतर इस बात की सूचना सम्पदा निदेशक/सम्पदा अधिकारी को देगा।

(3) अधिकारी/कर्मचारी,जिसका कि अपना या किसी अन्य सदस्य का अपनी डियूटी के स्थान पर या उसके समीप निजी मकान है और जिसे सरकारी आवास आंबटित है, तो उसे आबंटित सरकारी आवास की अनुज्ञप्ति शुल्क मूल नियमों के नियम 45–ए तथा इससे सम्बन्धित जारी समय समय पर आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत देय होगा ।

स्पष्टीकरण–– इस नियम में वर्णित परिवार से अभिप्रेत,अधिकारी/कर्मचारी के पत्नी/पति और आश्रित बच्चों से है।

4. अधिकारियों के विवाहित होने की स्थिति में आबंटन के लिए पति और पत्नी की पात्रता––(1) इन नियमों के अधीन किसी भी अधिकारी को तब तक आवास आंबटित नहीं किया जाएगा,जब तक यथास्थिति अधिकारी की पत्नी अथवा पति पहले से आबंटित किये गए आवासों को खाली नहीं कर देताः

परन्तु यह उप–नियम उस पति और पत्नी पर लागू नहीं होगा,जो न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक पृथककरण आदेश के अनुसार अलग रह रहे हों।

(2) यदि दो अधिकारियों के पास इन नियमों के अधीन आबंटित अलग अलग आवास हों और उनका एक दूसरे से विवाह हो जाए,तो वे विवाह के एक महीने के भीतर एक आवास खाली कर देंगे।

(3)यदि उप –नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित आवास खाली नहीं किया जाता है,तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर निम्न वर्ग का आवास रद्व हुआ समझा जाएगा। यदि आवास एक ही वर्ग के हों तो उनमें से एक का आबंटन निदेशक द्वारा उन्हें एक आवास छोडने के विकल्प का उचित मौका देकर अवधि की समाप्ति पर रद्व कर दिया जाएगा।

(4) जहॉ पति और पत्नी दोनों हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन नियोजित हैं,तो दोनों को आवास के आबंटन सम्बन्धी हकदारी पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया जाएगा।

(5) उप –नियम (1) से (4) में किसी बात के होते हुए भी,––

(क) यदि यथा स्थिति पत्नी अथवा पति जो कि इन नियमों के अधीन आवास की/का आबंटिती हो,को बाद में किसी अन्य पूल,जिस पर ये नियम लागू नहीं होते, से उसी स्थान पर आवास आबंटित किया जाता हैं, तो वह इस पर आबंटन के एक महीने के भीतर किसी भी एक आवास को खाली कर देगी/देगाः

परन्तु यह खण्ड ऐसे पति और पत्नी पर लागू नहीं होगा,जो न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक पृथककरण आदेश के अनुसार अलग–अलग रह रहे हैं।

(ख) यदि दो अधिकारियों को एक ही स्थान पर अलग–अलग आवास आबंटित किए गए

हों अर्थात एक को इन नियमों के अधीन आवास आबंटित किया गया हो और दूसरे को किसी अन्य पूल से आवास आबंटित किया गया हो,जिस पर यह नियम लागू नहीं होते और दोनों अधिकारियों का एक दूसरे से विवाह हो जाए, तो विवाह के एक महीने के भीतर उन दोनों में से कोई एक अपना आवास खाली कर देगा।

(ग) यदि खण्ड (क) अथवा (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार आवास खाली नहीं किया जाता तो सामान्य पूल से किया गया आवास का आबंटन इस अवधि के समाप्त होने पर रद्व किया गया समझा जाएगा।

5. आवास का वर्गीकरण—— इन नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय निम्न सारिणी में दर्शित वर्ग के आवास के आबंटन के लिए अधिकारी/पदधारी पात्र होंगेः——

आवास का वर्ग	अधिकारी/पदाधाकारी को प्रवर्ग या मासिक परिलब्धियॉ
1	950—00/—रूपये से कम
2	1800/—रूपये से कम परन्तु 950/— रूपये से कम नही
3	3000/—रूपये से कम परन्तु 1800/— रूपये से कम नही
4	4500/—रूपये से कम परन्तु 3000/— रूपये से कम नही
5	5900/—रूपये से कम परन्तु 4500/— रूपये से कम नही
6	5900/—रूपये और उससे अधिक

6. आबंटन के लिए आवेदन——(1)कोई अधिकारी/कर्मचारी जो आवास का आंबटन चाहता है या आवास को जारी रखना चाहता, जो उसे आबंटित किया गया है,के लिए आवेदक निदेशक/ सम्पदा अधिकारी को आवेदन,निदेशक द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रपत्र पर देगा।

(2) प्रत्येक वर्ग के आवास के लिए वरीयता सूची प्रत्येक आबंटन वर्ष की पहली जनवरी को तैयार की जाएगी तथा उसे प्रत्येक त्रैमासिक अघतन किया जाएगा। पूर्ववत मास की 15 तारीख तक प्राप्त आवेदन जब वरीयता सूचियॉ तैयार की जानी है अगली सूची तैयार की जाने की तारीख तक विधि मान्य होगी।

(3) कोई अधिकारी/कर्मचारी जो उच्चतर वर्ग का पात्र हो जाता है, वह अपनी पात्रता के आवास के लिए पात्र होने की तिथि से 14 दिन के भीतर आवेदन दे सकता है।

7 आवास का आंबटन——(1) यदि इन नियमों में अन्यथा 'उपबन्धित' न हो तो खाली आवास निदेशक द्वारा विशेष रूप् से अधिमानतः ऐसे आवेदक को आबंटित किया जाएगा जो नियम 13 के

उप–नियम (1) के उपबन्धों के अधीन उसी वर्ग के आवास का इच्छुक हो तथा यदि आवास उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित न हो तो खाली आवास निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसके पास उस वर्ग का आवास न हो और जिसको वर्ग के आवास के लिए सबसे पहले पूर्वोक्ता तिथि हो :–

(प) निदेशक ऐसे वर्ग के आवास का आबंटन नहीं करेगा,जो नियम 5 के अधीन आवेदक को पात्रता के वर्ग के आवास से बडा हो।

(पप) निदेशक किसी आवेदक को ऐसा वर्ग स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जो नियम 5 के अधीन उसकी पात्रता के वर्ग से छोटा हो।

(पपप) निदेशक निम्न वर्ग के आवास के आंबटन के लिए आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने पर उसकी पात्रता से एक वर्ग निम्न का आवास आबंटित करेगा,जिसके लिए आवेदक पूर्वोक्ता की तारीख के आधार पर नियम 5 के अधीन पात्र हो।

(2) निदेशक किसी अधिकारी/कर्मचारी के मौजूदा आबंटन को रद्द कर सकता है तथा उसके लिए उसी वर्ग का वैकल्पिक आवास आबंटित कर सकता है अथवा आपातिक परिस्थितियों में उस वर्ग से अगले निचले वर्ग कोई वैकल्पिक आवास आबंटित कर सकता है, यदि अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अधिभोग वाले आवास को जनहित में खाली करवाना आवश्यक हो।

(3) उपयुर्क्त उप–नियम (1) के अधीन किसी अधिकारी/कर्मचारी को आबंटन करने के अतिरिक्त खाली आवास प्राािमिकता के आधार पर अन्य पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों को दिया जा सकता है।

(8) बिना बारी से तदर्थ आबंटन–– नियम 7 में किसी बात के होत हुए भी आवास आंबटन समिति द्वारा अधिकारी/कर्मचारी को बिना बारी से निम्नलिखित आधार पर तदर्थ आबंटन किया जा सकेगा। जायेगाः–

(1) निम्नलिखित प्रकार की अस्वस्थता/बीमारीः––

(प) निम्नलिखित प्रकार से शारीरिक रूप से अपंग सरकारी कर्मचारीः–

(क) दृष्टिहीनता अर्थात जो निम्नलिखित किसी स्थिति से पीडित हैः–

1. पूर्ण दृष्टिहीनता
2. संशोधक लैंस लगाकर अच्छी आंख में दृष्टि की तीक्षणता 6/60 या 20/200 (तीक्षणता) से अधिक हों।
3. दृष्टि परास 20 डिग्री के कोण को कक्षान्तरित कर रहा हो या अधिक बुरी हालत में है।

(ख) बधिर–– वे व्यक्ति जिनको जीवन में सुनने के सामान्य प्रयोजन के लिए इन्द्रिय कोई कार्य नहीं करती हो। वे आवाज को बिल्कुल सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते चाहे उंची आवास में ही क्यों न बोला जाए। इन श्रेणियों में सम्मिलित किए गए वे मामले भी होंगे, जिनके अधिक अच्छे कान में 90 डैसीमल से अधिक श्रवण शक्ति की हानि हो गई हो या दोंनों कानों से कुछ भी न सुनाई देता हो।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जिनके लिये अपनी विकलांग विरूपता के परिणामस्वरूप स्वतन्त्र रूप से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया हो।

(पप) ह्रदय रोगी (ग्रेड–3 और 4 लक्षणों वाले ह्रदय रोग,जिनके ग्रेड–3 और 4 का एन्जोइना या ग्रेड–3 और 4 की संकुलित ह्रदय गति रूकना या ग्रेड–3 और 4 के लक्षणों सहित तीव्र अतिरिक्त दाब जैसी गम्भीर आवश्यकतायें शामिल हैं।)

(पपप) क्षयरोगी (फुसफुस तपेदिक) सक्रिय अवस्था में जिसमें अन्य लोगों के लिये खतरा हो और कैंसर से पीडित कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/पति और उसके आश्रित बच्चे।

(2) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या उसके सेवानिवृत होने पर,उसके पति/पत्नी या पुत्र या अविवाहित पुत्री को, यदि मृतक/सेवानिवृत कर्मचारी को उसकी मृत्यु/सेवा निवृकम के समय सरकारी आवास आंबटित था। ऐसा आबंटन मृतक/सेवानिवृत कर्मचारी के अभिभाव को उसकी पात्रता से उच्चतर वर्ग का आवास आबंटित नहीं किया जायेगा।

(3) आबंटी का स्थानान्त्रण, विदेश सेवा में प्रतिनियक्ति पर जोकि सरकार द्वारा परियोजित हो, ओर अध्ययन अवकाश एक वर्ष से अधिक का हो, पर आबंटी के पति/पत्नी यदि वह उसी स्थान पर सरकारी सेवा में है, को उसकी पात्रता के अनुरूप।

(4) अधिकारी जो चिन्हित आवास में रह रहा है,का यदि उसी स्थान पर अन्य पर पर अथवा किसी दूसरे सीान को स्थानान्त्रण होनें पर।

(5) अधिकारी/कर्मचारी जिनका जिला लाहौल–स्पिति,किन्नौर और चम्बा जिला की तहसील पांगी में सेवा अवधि पूर्ण होने पर स्थानान्तरण हुआ हो।

(6) निती कर्मचारीवृन्द अर्थात मन्त्रियों के निजी–सहायक/निजी सचिवों आदि में से एक को।

(7) जहॉ सेवा की आकस्मिकतायें इस प्रकार समुचित ठहरायें।

(8) उप–नियम (1) से (7) में किसी बात के होते हुए भी अधिकारी/कर्मचारी जिनके अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम से उसकी डयूटी के सीान पर या उसके समीप मकान हे, बिना बारी से तदर्थ आबंटन के पात्र नहीं होगें।

(9) (प) राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों तथा अन्य दैनिक समाचार पत्रों जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, के राज्य स्तरीय संवाददाताओं जिन्हें कि सरकार द्वारा प्रत्ययपत्र जारी किया हो, तथा निदेशक लोक सम्पर्क विभाग द्वारा संस्तुति की गई हो, को यदि उन्हें आवास आबंटन करना न्यायोचित हो,को उनकी पात्रता जो कि केवल मूल वेतन (मंहगााई भत्ते को छोडकर) पर तय होगी, को केवल शिमला में आवास आबंटित किया जा सकेगा, परन्तु किसी भी स्थिति में वर्ग–4 से उपरी वर्ग का आवास आबंटित नहीं किया जायेगा। ऐसा आबंटन केवल उन्हें किया जायेगा जिनका अपना अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम मकान नहीं हैः

परन्तु संम्वाददाता जिन्हे पहले से आवास आबंटित है और वह अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम मकान का भाग लेता है/बनाता है/खरीदता है/विरासत में पाता है, को तुरन्त आबंटित आवास छोडना होगा। संम्वाददाता द्वारा आवास आंबटन के समय इस आशय का शपथ–पत्र दिया जायेगा कि उसका या उसके परिवार के किसी सदस्य का शिमला अथवा उसके समीप कोई अपना मकान या किसी मकान का कोई भाग नहीं है और जैसे ही वह या उसका परिवार मकान प्राप्त कर लेता है या कोई मकान या मकान का कोई भाग बना लेता है, तो उसके तुरन्त बाद वह सरकारी आवास को खाली कर देगाः

परन्तु या और भी कि इस उप–नियम के अन्तर्गत आबंटित सम्वाददाता को नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञिप्त शुल्क तथा उन्हे उनके समाचार पत्र/ समाचार अजैन्सी द्वारा दिया जाने वाला आवास भत्ता सरकार को देया होगा।

(पप) आवास आवंटन के लिये पूर्ववोक्ता तिथि आवेदन करने की तिथि होगी।

(पपप) एक समाचार पत्र/ एजैन्सी के संम्वाददाता को केवल एक ही आवास आबंटित किया जाएगा

परन्तु इन नियमों के अधीन बिना बारी से तदर्थ आबंटन प्रत्येक वर्ग में उपलब्ध आवासों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। वर्ग–4 और उससे उपरी वर्ग के आवास प्रतिशतता निर्धारित करने हेतू इकटठे किये जायेगे और उप–नियम (2) (3) और (9) के अन्तर्गत किये जाने वाले आबंटन प्रतिशतता के अन्तर्गत नहीं आयेगे।

9. आबंटन की अस्वीकृती या स्वीकृती के पश्चात आबंटित आवास का अधिभोग रखने में असफल रहाः––(1) यदि अधिकारी/कर्मचारी पाचॅं दिन के भीतर आवास के आबंटन को स्वीकार करने में असफल रहता है या आबंटन के पश्चात आबंटन के पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर आवास का कब्जा नहीं लेता है, तो वह आबंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अन्य आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा, बर्शेते की आबंटित आवास उसी प्रवर्ग का है, जिसके लिए वह हकदार है।

(2) यदि पात्रता से निम्न प्रवर्ग का आवास अधिभोग रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी को नियमों के अधीन उसकी पात्रता का आवास आबंटित किया जाता है तो उसे उक्त आबंटन का या आबंटन के प्रस्ताव को इन्कार करने पर निम्नलिखित शर्तो पर पहले आबंटित आवास में रहने की अनुमति होगी अर्थातः––

(क) ऐसा अधिकारी/कर्मचारी आबंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) विघमान आवास रखते समय उसे वही अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभार्य होगा,जितना उसने ऐसे आबंटित आवास की बाबत एफ0आर0 45–ए या सम्बद्व तत्स्थानों उप–नियम के अधीन संदत्त करना होगा या विघमान आवास की देय अनुज्ञप्ति शुल्क,जो भी अधिक हो, उस अवधि तक, जब

तक कि उसे उच्चतर वर्ग के आबंटन के लिए वंचित किया गया है अर्थात एक वर्ष की अवधि के लिए देय होगा ।

(3) (क) अधिकारी/पदाधिकारी किसी भी समय सूचना देकर जो निदेशक के पास आवास खाली करने की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व पहुॅच जाये, आबंटन को अभ्यर्पित कर सकता है। आवास का आबंटन निदेशक द्वारा प्राप्त पत्र के दिन से ग्यारवें दिन से या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से जो

भी बाद में हो, रद्व समझा जायेगा, यदि वह सम्यक सूचना देने में असफल रहता है तो वह दस दिन के लिए या ऐसे दिनों के लिए जब तक उस द्वारा दि गई सूचना में दस दिन की कमी आती है, अनुज्ञप्ति शुल्क संदत्त करने के लिए उत्तरदायी होगा,बर्शेते की निदेशक कम अवधि के लिए सूचना स्वीकार करेगा।

(ख) कोई अधिकारी/ पदधारी जो नियम 9(3) के अधिन आवास को अभ्यर्पित करता है, उसके बाबत ऐसे अर्भ्यपित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उसी स्थान पर सरकारी आवास के आबंटन के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्पित करने की सूचना निम्नलिखित प्रकार के मामलों में आवश्यक नहीं हैः——

(1) जब कोई अधिकारी/पदधारी जो अपनी पात्रता के आवास के निम्न वर्ग के आवास को अधिभोग रखे हुये है,

(2) जब कोई भी अधिकारी/पदधारी पुनः नियोजन पर आवास के निम्न वर्ग के आवास का हकदार पाया जाता है।

(3) जब किसी अधिकारी/पदधारी को उसी वर्ग में आवास का परिवर्तन दिया जाता है,

(4) जब अधिकारी/पदधारी के अभिभोग में आवास लोक प्रयोजनार्थ मुरम्मत, गिराये जाने के लिये अपेक्षित हैं,

(5) जब अभिभोग में आवास का आबंटन नियमों के अधीन रद्व किया जाता है या रद्व किया गया समझा जाता है,

(6) जब सेवा निवृत/मृत आबंटी के पुत्र/पुत्री आदि बैकल्पित आवास प्राप्त कर लेते है।

10. अवधि जब तक आबंटन जारी रहता है और रियायती अवधि के लिये आगे रखा जाता हैः—

(1) आबंटन आवास के अभिभोग की तारीख से या आबंटन पत्र की तारीख से पाचॅ दिन तक जो भी पहले हो प्रभावी होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक किः——

(क) उप नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय रियायती अवधि के समापन पर अधिकारी का

हिमाचल प्रदेश के पात्र कार्यालय मे डयूटी बने न रहना,

(ख) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा रद्व किया जाता है या रद्व किया गया समझा जाता है,

(ग) अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित कर दिया जाता है,या

(2) अधिकारी को आबंटित आवास निम्न सारिणी के स्तम्भ–1 में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से कोई घटना होनें पर स्तम्भ–2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि में लिये उप–नियम (3) के अधीन रहते हुये रखा जा सकता है, बशर्ते कि आवास अधिकारी के या उसके परिवार के सदस्यों के वास्तविक प्रयोग के लिये अपक्षित हों:–

घटनायें 1	आवास रखने के लिये अनुमत अवधि 2
(1) सेवा से त्यागपत्र,बर्खास्तगी अथवा निष्कासन सेवा की समाप्ति अथवा बिना अनुमति के अप्राधिकृत अनुपस्थित ।	4 मास
(2) सेवा निवृति अथवा सेवानत अवकाश	4 मास
(3) स्थान से बाहर स्थानान्त्रण	2 मास या उस तिथि तक जब तक कि नये तैनाती के स्थान पर आवास आबंटित नहीं होता, जो भी पहले हो।
(4) आबंटी की मृत्यु	1 वर्ष
(5) भारत में विभागेतर सेवा पर जाना	2 मास
(6) भारत में अस्थायी स्थानान्त्रण या भारत से बाहर किसी स्थाना को स्थानान्त्रण ।	6 मास
(7) चिन्हित आवास का अभिभोग रखने वाले अधिकारी का स्थानान्त्रण।	प्रभार देने की तारीख से एक मास
(8) सेवानिवृती से पूर्व छुटटी,स्वीकृत छुटटी सेवांत छुटटी,चिकित्सा अवकाश (से भिन्न अवकाश)	अवकाश की अवधि के लिये जो चार मास से अधिक नहीं
(9) अस्वीकृति छुटटी की सेवानिवृती पूर्व छुटटी	अधिकतम चार मास के अधीन रहते हुए पूर्व चार मास की अवधि के लिये जिसके

	अन्तर्गत सेवानिवृति के समय अनुज्ञेय अवधि भी है।
(10) भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति की पूर्ण अवधि तक परन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं
(11) भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश	अवकाश की अवधि के लिए जो छः मास से अधिक न हो।
(12) प्रशिक्षण पर जाना	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि के लिये।
(13) प्रसूति अवकाश	प्रसूति अवकाश की अवधि के लिये तथा उसके साथ जोडी गई और छुटटी जो कि अधिकतम पाचॅ मास तक।
(14) चिकित्सा अवकाश जिसमें चार मास के बद अस्पताल मे भर्ती रहना पडें।	पूरी अवधि के लिये।

स्पष्टीकरण 1.—— मद 3,6 और 7 के सामने लिखित सीानान्त्रण पर अनुज्ञेय अवधि प्रभार छोडने जमा छुटटी यदि कोई स्वीकृत हो और नये कार्यालय में पद ग्रहण करने से पूर्व ली गई छुटटी से गणना की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2—— यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी बिना वेतन और भत्ता के चिकित्सा अवकाश पर हो तो वह उप–नियम (2) के नीचे दी गई सारिणी के मद (14) के अन्तर्गत दी गई रियायत के आधार पर आवास की लाईसैंस फीस अदा करे और यदि वह दो महीने से अधिक समय तक इस प्रकार की लाईसैंस फीस अदा नहीं करता तो आबंटन रद्व हो जायेगा।

स्पष्टीकरण 3—— जहॉ आवास उप–नियम (2) के अधीन रखा गया है,अनुज्ञेय रियायती अवधि की समाप्ति पर आबंटन रद्व समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 4—— कोई अधिकारी जिन पर नियम 2 के निम्न सारिणी के मद (1) और मद (2) के अधीन रियातत होने के कारण रखा है, उक्त सारिणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपयुक्त कार्यालय में पुनः नियोजन होने पर आवास को रखने का हकदार होगा और वह इन नियमों के अधीन आवास के और आबंटन के लिये भी पात्र होगा, परन्तु यदि ऐसे पुनः नियोजन पर अधिकारी की परिलब्धियॉ इसके द्वारा अधिभोग में आवास के लिये हकदार नहीं रहते, तो उसकी पात्रता के अनुसार उन्हें आवास आबंटित किया जायेगाः

परन्तु यह कि अधिकारी/कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा उप–नियम (2) में अनुमत्य अवधि के बाद छः मास की अवधि तक आवास दुगणे पूल्ड अनुज्ञप्ति शुल्क पर रखने की अनुमति दी जा सकती है और यह भी कि अधिकारी/कर्मचारी को उसकी चरम अनुकम्पा परिस्थितियों में मुख्य सचिव,हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उसे और अवधि के लिये आवास रखने की अनुमति दी जा सकेगीः

परन्तु यह भी कि किसी आबंटी का स्थानान्त्रण शैक्षणिक मध्य सत्र में होता है और उसके वर्तमान तैनाती के स्थान पर बच्चे स्कूल/कालेज/विश्वविघालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे है हो तो ऐसे मामलो में गुणता के आधार पर और सम्बन्धित शिक्षण संस्थान से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) उस आबंटी को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के पूरा होने तक आवास रखने को अनुमति दे सकेगें। एकसी अवधि का उप–नियम (2) में स्थानान्त्रण और सेवानिवृति पर अनुमत्य अवधि के बाद की अवधि के लिये दुगण पूल्ड अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगाः

परन्तु यह भी कि अधिकारी/कर्मचारी जो कि भारत से बाहर विदेश सेवा और प्रतिनियुक्ति पर, भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश पर जाता है तो उसका सम्बन्धित विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को पूर्व अनुमति से अधिकारी/कर्मचारी के आदेशों की शर्तो में इस शर्त का प्रावधान करेगे कि वह सरकारी आवास तभी रख पायेगे यदि उनके परिवार के सदस्य आवास का वास्तविक अधिभोग करेंगेः

परन्तु यह और भी कि अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें कि सरकारी आवास आबंटित हो इस आशय का शपथ पत्र भी देगे कि उसके परिवार के सदस्य आवास का वास्तविक अधिभोग करेंगे और यदि किसी समय यह पाया गया कि आवास का अधिभोग वास्तविक उद्वेश्य के लिए नहीं किया जा रहा है तो सरकार किसी अन्य अनुशासनिक कार्यवाही जो उसके विरूद्व की जा सकेगी,के प्रतिकूल प्रभाव बिना आवास का आबंटन रद्व कर सकेगी।

(3) यदि सेवानिवृत के तत्काल पश्चात अधिकारी/कर्मचारी आवास रखने की अनुमत अवधि का लाभ नहीं उठाता है तो उसे पुनःनियोजन की अवधि पूरी करने के बाद उप–नियम (2) में दिये प्रावधान के अनुसार रियायती अवधि में आवास रखने की अनुमति दी जा सकती है। यह यदि पुनःनियोजन से पूर्व अधिकारी को अनुमत अवधि के कुछ भाग का लाभ दिया जा चुका है,तो उसे पुनःनियोजन की समाप्ति के पश्चात आवास रखने को अनूमत अवधि के शेष भाग की अवधि की अनुमति दी जा सकती है।

(4) अधिकारी/कर्मचारी जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पदावधि पद पर नियुक्त किये जाते है,को उप–नियम (2) के अन्तर्गत दी जाने वाली अवधि तक आवास रखने के पात्र नहीं होगे और ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को आबंटित सरकारी आवास पदावधि पद की अवधि समाप्त होने के बाद 15 दिन की अवधि में खाली करना होगा।

11. अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान––(1) जहॉ आवासीय या वैकल्पिक आवास के आबंटन को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुज्ञप्ति शुल्क देने का दायित्व अधिभोग की तारीख से या आबंटन पत्र की प्रापित के आठवें दिन की तारीख से जो भी पहले हो प्रारम्भ होगा।

(2) कोई अधिकारी/कर्मचारी जो स्वीकृति के पश्चात आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर आवास का कब्जा जेने में असफल रहता है तो उससे ऐसी तारीख से 12 दिन की अवधि के लिए या तारीख तक जो भी पश्चातवर्ती हों,जब यह स्वीकृति वापिस लेता हैं,से अनुज्ञप्ति शुल्क देया होगा।

(3) जहॉ कोई अधिकारी/कर्मचारी जो आवास के अधिभोग में है और उसको अन्य आवास आबंटित किया जाता है ओर वह नये आवास का कब्जा ले लेता है तो पूर्ववर्ती आवास का आबंटन नये आवास के अधिभोग करने की तारीख से रद्व समझा जायेगा। यघपि वह नये आवास के अधिभोग के पश्चात दो दिन तक बिना किराया दिये पूर्ववर्ती आवास को रख सकता है।

12. आवास खाली किए जाने तक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने और अस्थाई अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभू प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत दायित्वः–– (1) जिअस अधिकारी/कर्मचारी को आवास आबंटित किया गया हे,जब तक उस आवास में वह रहता है या जब तब आवास उसको आबंटित रहता है, तक की आवास के अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने और आवास तािा उसमें उपलब्ध करवाये गये फर्नीचर इत्यादि अथवा साज–सज्जा की उचित देखभाल न करेन के कारण देय क्षति को राशी का भुगतान करने का उसका व्यक्तिगत दायित्व होगा।

(2) जिस अधिकारी/कर्मचारी को आवास आबंटित किया जाता है, यदि वह न तो स्थाई कर्मचारी है या स्थायीवत सरकारी कर्मचारी,तो उसे उस आवास और उसके बदले में आबंटित आवास के सम्बन्ध में देय अनुज्ञप्ति शुल्क और अन्य प्रीाारों के भुगतान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए फार्म में एक प्रतिभूति बन्द पत्र प्रस्तुत करना होगा और उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी स्थाई कर्मचारी को प्रतिभूति के रूप में घोषित करना होगा।

(3) यदि प्रतिभू, सरकारी सेवा में नहीं रहता है,या अपनी प्रत्याभूति वापिस ले लेता है या किन्हीं अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होता है,तो अधिकारी ऐसे तथ्य का ज्ञान होनें की तारीख से तीस दिन के भीतर दूसरी प्रतिभू निष्पादित करवायेगा,यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है,तो उसके आवास को आबंटन जब तक सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चत न किया जाए,तथ्य की तारीख से रद्व किया समझा जायेगा।

13. आवास में परिवर्तनः––(1) अधिकारी/कर्मचारी जिसको इन नियमों के अधीन आवास आबंटित किया गया है, वह उसी वर्ग के आवास के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा। एक स्थान पर तैनाती के दौरान समवर्ग आवास में एक परिवर्तन से अधिकार परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी,परन्तु अधिवर्षिता की तारीख से छः मास की अवधि में किसी आवास के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) परिवर्तन निदेशक,सम्पदा/सम्पदा अधिकारी के कार्यालय में उसके लिए प्राप्त आवेदनों के क्रमानुसार दिये जायेगे।

(3) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी,उसे प्रस्तावित आवास के परिवर्तन को,ऐसे प्रस्ताव का आबंटन के जारी होने की तिथि से आठ दिन के अन्दर स्वीकार नहीं करता है,तो उस वर्ग के आवास के परिवर्तन हेतु पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

(4) आवास आबंटन समिति द्वारा असाधारण परिस्थितियों में दूसरे परिवर्तन को अनुमति दी जा सकेंगी।

14. परिवार के सदस्य की मृत्यु होनें पर आवास का परिवर्तन—— नियम 13 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी अधिकारी/कर्मचारी को परिवार के सदस्य की मृत्यु पर आवास के परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी,यदि वह ऐसी घटना के तीन मास के भीतर परिवर्तन के लिए आवेदन करता हैः

परन्तु परिवर्तन अधिकारी/कर्मचारी को पहले आबंटित वर्ग के आवास में ही दिया जाएगा।

15. आवास की पारस्परिक अदला–बदली—— जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन एक ही वर्ग के आवास आबंटित किए गए हैं, वह अपने आवास की पारस्परिक अदला–बदली की अनुमति के आवेदन कर सकते हैं। यदि दोनों अधिकारियों/कर्मचारियों से युक्तिसंगत रूप से यह उम्मीद की जाती हैं कि वे ऐसी अदला–बदली के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छः महीने तक एक ही स्थान पर तैनात रहेंगे और अपने पारस्परिक अदला–बदली किए गए आवास में रहेंगे तो उन्हें पारस्परिक अदला–बदली की अनुमति दी जा सकती है।

16. ऐसी जगह स्थानान्तरण जहॉ परिवार को नही रखा जा सकता—— यदि अधिकारी/कर्मचारी को ऐसे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है,जहॉ उनको अपने परिवार को साथ रखने की अनुमति नहीं है या सरकार द्वारा न रखने का परामर्श दिया गया हे और इन नियमों के अधीन उसको आबंटित आवास उसके परिवार के सदभाविक प्रयोग के लिये अपेक्षित है तो उसकी प्रार्थना पर साधारण अनुज्ञप्ति शुल्क संदत्त करने पर आवास रखने की अनुमति दी जा सकेगी ।

17. आवास का सांझा करना—— कोई भी अधिकारी /कर्मचारी उसको आबंटित आवास को जिसके अन्तर्गत आउट हाउसिंग,गैराज और अस्तबल जो उसके अनुलग्नक हैं,सांझ नहीं करेगी,जब तक कि वह सरकार द्वारा ऐसे करने के लिये प्राधिकृत न हो ।

(2)निकट रिश्तेदारी के साथ सांझा करने पर किरायेदारी/सांझा नहीं समझा जायेगा । निम्नलिखित रिश्ते घनिष्ट रिश्तेदार समझे जायेगे,जैसे कि पिता,माता,भाई,बहन,दादा,दादी,पोते, पोतियां,अंकल आंटी,चचेरा भाई,बहिन भतीले–भतीजी जो ग्राही से सीधे रुप में खून के रिश्ते से सम्बन्धित हैं,ससुर/सास,ननद,दामाद,बहु और कोई अन्य रिश्तेदार ,जो कि न्यायायिक रुप से स्थापित हों ।

18. आबंटन रद्ध करने की शक्ति—— (1) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसको आवास आबंटित किया गया है,आवास को किरायेदारी में देता है या आवास के किसर भाग में अनाधिकृत निर्माण करता या किसी भाग का प्रयोजन के लिये रखे प्रयोजन से भिन्न,किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग करता है या विद्युत और जल कनैक्शन से छोड–छाड करता है या नियमों या तथा आबंटन के निबन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है या आवास को किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग करता है ,जिसको सरकार अनुचित समझती है या इस प्रकार का आचरण करता है,जो सरकार की राय में

पडोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण नाता बनाये रखने के लिये प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या जिसने आबंटन प्राप्त करने के लिये किसी आवेदन या लिखित ब्यान में गलत सूचना दी है,की सरकार किसी अन्य अनुशासनिक कार्यवाही जो उसके विरुध की जा सकेगी,के प्रतिकूल बिना आवास के आबंटन को रद्ध कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण––इस उपनियम के अभिव्यक्ति भअधिकरी/कर्मचारी के अन्तर्गत,जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,उसके परिवार का सदस्य और अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(2)यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी,नियम 3 से तथा उपबन्धित निदेशक/सम्पदा अधिकारी को जानकारी अधिसूचित करने में असफल हुआ है या ऐसी जानकारी अधिसूचित करते सूय उसने किसी आवेदन या कथन में तात्विक तथ्य को छिपाया हे तो निदेशक उसके आबंटन को रद्ध कर सकेगा ।

(3) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन नियमों के उल्लंघन में किसी आवास या उसके किसी भाग को पर किरायेदारी पर देता है तो उसे किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्षत अधिभोग हर्जाना प्रभार्य होगा ।

(4) जहां आबंटन आबंटी द्वारा आवास को पर किरायेदारी करने पर रद्ध करना हो,आवास को खाली करने के लिए आबंटी या उसके साथ रह रहे व्यक्ति को सात दिन की अवधि दी जायेगी। आबंटन आवास के खाली करने की तिथि से या आबंटन के रद्धीककरण के आदेशों की तारीख से सात दिनों की अवधि की समाप्ति से जो भी पहले हो,को कर दिया जायेगा ।

(5) जहां पडोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आचरण के लिये आबंटन रद्ध किया गया है,सरकार के विवेकाधिकार से उसे अन्य आवास उसी वर्ग में किसी अन्य स्थान पर आबंटित किया जा सकेगा ।

18 अ. सामान्य पूल आवास के अवैध अधिभोगियों द्वारा क्षत अधिभोग हर्जाने की अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली––

(1) जब इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध के अधीन आबंटन रद्ध किया जा चुका है या रद्ध समझा गया है,उसके अधिभोग में रहता है तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से आवास के प्रयोग और अधिभोग सेवायें,फर्नीचर और बगीचा प्रभार्य के लिये 4/–रु0 प्रति वर्गफुट की दर से क्षत अधिभोग देय होगा ।

स्पष्टीकरण–– सेवाएं के अन्तर्गत सफाई,सामान्य बिजली और सामान्य जल सुविधा है ।

(2) सेवा निवृत होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के अर्लित अवकाश के बदले देय वेतन का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उनके द्वारा आबंटित आवास यदि कोई है को खाली नहीं कर देते । अर्जित अवकाश के बदले देय राशि उस अधिकारी के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उसकी सेवानिवृति उपरान्त निकाल करके उसे सेवानिवृत अधिकारी / कर्मचारी के नाम 4 मास की अवधि के लिये एफ0 डी0 आर0 में रखी जायेगी जो कि उप नियम (1) के अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास धरोहर बतौर क्षत अधिभोग हर्जाने के प्रति अमानत रहेगी ।

19. कतिपय श्रेणियों के अधिकारियों के लिये अलग–अलग पूल बनाना––(1) इन नियमों में उल्लिखित किसी बात के होते हुये भी निम्नलिखित पूल बनाये जायेगे यथाः––

1. महिला अधिकारियों / कर्मचारियों का पूल
2. पारगमन आवास पूल
3. पदावधि अधिकारी / कर्मचारी पूल

(2) इन पूलों के अन्तर्गत रखे जाने वाले आवासों की संख्या तथा वर्ग का निर्धारण समय–समय पर सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(3) इन नियम के अधीन आवासों के आवंटन के लिये पात्रता अधिकारियों / कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जायेगी यथाः––

(क) महिला अधिकारी/कर्मचारी पूल में आवास आबंटन नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत पूर्विकता की तिथि के आधार पर पात्रता से एक वर्ग कम के आवास के आबंटन के लिये पात्र होंगी ।

(ख) पदावधि अधिकारी / कर्मचारी पूल में उस तारीख के आधार पर जिस तारीख से ऐसे प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी ने उस वर्ग से सम्बन्धित परिलब्धियां प्राप्त करना आरम्भ किया हो जिस वर्ग के आबंटन के लिये उस पर विचार किया जाना है ।

(ग) पारगमन पूल में आवास ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों को आबंटित किये जा सकेंगेः––

(प) जिन्होंने अन्य स्थान से स्थानान्त्रण पर नये स्थान पर पद ग्रहण किया हो,

(पप) जो प्राकृतिक प्रकोप तथा भारी बारिशों/हिमपात,आंधी तूफान,भूकम्प तथा अग्निकांड से प्रभावित हुये हों

;पपपद्ध जिन्हें निजी मालिकों द्वारा बेदखल किया गया हो अथवा जिनके आवास सरकार द्वारा जनहित में अधिगृहित किये हों

;पटद्धजिनके आवास ढह गये हों अथवा अग्निकांड में जल गये हों,और

;टद्ध ऐसे व्यक्ति जिन्हें चरम अनुकम्पा की परिस्थितियां हों को पारगमन आवास आबंटित किये जा सकेंगे । ऐसे आबंटन के लिये वरीयता आवेदन करने की तिथि से होगी । पारगमन आवास आबंटन के लिये आवेदन केवल छः मास तक के लिये ही मान्य होगा ।

(4) (क) महिला अधिकारी / कर्मचारी पूल से आबंटन के लिये पात्र अधिकारी / कर्मचारी सामान्य पूल से आवास आबंटन के लिये पात्र होंगे ।

(ख) पारगमन पूल से आबंटन के लिये पात्र अधिकारी / कर्मचारी जो सामान्य पूल से आबंटन के लिये पात्र हैं ,उप नियम (ग) में वर्णित आधारों के कारण आबंटन के लिये पात्र होंगे ।

(ग) पदावधि पूल सभी अधिकारी/कर्मचारी भारत सरकार की नियुक्ति से वापिस आने,राज्य मुख्यालय से बाहर सावधिक तैनाती यथा,जिलाधीश,जिला एवं सत्र न्यायाधीश,उपमण्डल अधिकारी

(नागरिक) इत्यादि को पुनः राज्य मुख्यालय में स्थानान्त्रण होने की स्थिति में पदावधि–पूल से आवास आबंटन के लिये पात्र होंगे ।

(5) (क) महिला पूल और पदावधि पूल से अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये आबंटन,उस स्थान पर तैनाती तक की अवधि के लिये होगा ।

(ख) पारगमन पूल से आबंटन एक वर्ष के लिये मान्य होगा,जिसे कि आगे और छः मास के लिए बढाया जा सकेगा यदि अधिकारी/कर्मचारी उसी सीमा पर तैनात रहता हैं।

(6) (क) महिला पूल/पदावधि पूल से आबंटित आवासों को अनुज्ञप्ति शुल्क,मूल नियमों के नियम 45–ए,जिनके अन्तर्गत सामान्य पूल के आवासों को अनुज्ञप्ति शुल्क को ग्रही की जाती हैं, देय होगी।

(ख) पारगमन पूल से आबंटित आवासों की अनुज्ञप्ति शुल्क निम्न प्रकार से ग्राह्य होगी,यथाः––

(1) एक कमरे वाला आवास,सांझी शौचालय सुविधा वाला (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए)	20 रूपये प्रति माह
(2) एक कमरे वाला आवास,अलग शौचालय की सुविधा सहित (तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए)	35 रूपये प्रति माह
(3) दो कमरे वाला आवास (तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए)	65 रूपये प्रति माह
(4) दो कमरे वाला आवास (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए)	100 रूपये प्रति माह

टिप्पणी–––आवासों में अतिरिक्त प्रावधित सुविधाओं यथा फर्नीचर,गीजर इत्यादि के लिए अतिरिक्त प्रभार देय होंगे। पानी और बिजली के प्रभार के भुगतान के लिए आबंटी सम्बन्धित विभाग/निगम के प्रति उत्तरदायी होगा ।

20. इन नियमों के जारी होने से पूर्व किये गये आबंटनों का जारी रहना–– आवास के ऐसे वैध आबंटन के,जो इन नियमों के लागू होने से पहले जारी रहा हो, इस समय प्रवृति नियमों के अन्तर्गत इस बात के होते हुए भी कि वह अधिकारी जिसे वह आबंटन किया गया है, सम्बद्व नियमों के तहत उस वर्ग के आवास का हकदार नहीं है, इन नियमों के अधीन समयक् रूप से किया गया आबंटन समझा जायेगा और इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती प्रावधान तदानुसार उस आबंटन और उस अधिकारी के सम्बन्ध में लागू होंगे।

21. नियमों का निर्वाचनः–– यदि इन नियमों के निर्वाचन की बाबत कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

22. शक्तियॉ या कार्य प्रत्यायोजित करनाः––(1) सरकार नियमों द्वारा उसको प्रदत्त किसी शक्ति या शक्तियॉ, केवल नियम बनाने और उन्हें संशोधित करने को छोडकर,उसके नियन्त्रणाधीन किसी भी अधिकारी को ऐसी शर्तो के अधीन जैसी कि वह अधिरोपित करना उचित समझे प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) निदेशक इन नियमों में प्रदत शक्तियेां में से सभी अथवा उनमें से किसी को सम्बन्धित जिलों के सम्पदा अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है:

परन्तु इन नियमों के नियम 24 के अधीन शक्तियॉ किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकेगी।

23. अधिकारी/कर्मचारी जो किराया मुक्त आवास और विभागीय पूल आवास के पात्र हैं,को आबंटन ––अधिकारी / कर्मचारी जो कि किराया मुक् आवास तथा अधिकारी / कर्मचारी जिनके विभाग के अपने विभागीय पून आवास हैं,वह सामान्य पूल से आवास आबंटन के पात्र नहीं होंगे :

परन्तु यह भी कि उन स्थानों पर जहां ऐसे अधिकारी / कर्मखरी के लिये विभागीय पूल आवास सुविधा नहीं है तो वह उस स्थान पर अन्य पात्र पदधारियों सहित सामान्य पूल से आवास आबंटन के लिये पात्र होगा। अधिकारी / कर्मचारी जो किराया मुक्त आवास का पात्र हे,को सामान्य पूल से आवास आबंटन के लिये इस शर्त के साथ कि यदि उसे आवास आबंटित किया जाता है तो अनुज्ञप्ति शुल्क उसके सम्बन्धित विभाग द्वारा देय होगा,विचार किया जायेगा ।

24. नियमों में छूट ––सरकार ,लिखितकारणों को लिपिबद्ध करके,लोकहित में या अतिवार्धक अनुकम्पा के मामलों में इन नियमों के सभी उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध में छूट दे सकती है ।

25. निरसन और व्यावृति–– (1) हिमाचल प्रदेश सरकारी निवास स्थान आबंटन नियम,1986 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी,किया गया कोई आदेश,आबंटन या की गई कोई कार्रवाई या बात इन नियमों में अन्तर्विष्ट तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।